

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक
(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

69/2020
29-10-2020

तूलसीदास पुत्र कालूदास जाति बाबाजी निवासी भोजपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
राज०

—अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार बनेटा जिला— टोक

—रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार बनेटा दिनांक 6-3-2020 मिसल सं.
456/2020

उपस्थिति : (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम राजकीय पुराकार रेस्पोजेण्ट

निर्णय

दिनांक 20-1-2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेटा ने अपने निर्णय दिनांक 6-3-2020 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 940/42 रकबा 0.01 है० किस्म सिवायचक वाके ग्राम भोजपुरा तहसील उनियारा पर अतिक्रमण का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने 50/रूपये की पेनल्टी कायम कर 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार बनेटा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि नायब तहसीलदार बनेटा द्वारा निर्णय से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया है ओर नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नहीं कराई गई है। निर्णय एकतरफा में पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व हल्का पटवारी से जिरह करने का अवसर नहीं दिया ओर पटवारी हल्का द्वारा रंजिशवश गलत रिपोर्ट की है, जबकि उक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 940/42 रकबा 0.01 है० में अपीलान्ट के पूर्वजों के समय से पक्का पुख्ता मकान बना हुआ है तथा इसी भूमि अन्य कई व्यक्तियों के मकान बने हुए हैं। अपीलान्ट इस मकान में अपने परिवार के साथ निवास कर रहा है व मकान में विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है। यह भूमि आबादी के पास ही है तथा भूमि की नियमन की कार्यवाही भी चल रही है। उक्त खसरा में अन्य व्यक्तियों ने भी मकान बना रखे हैं, किन्तु तहसीलदारजी द्वारा उनके विरुद्ध कोई




जिला कलेक्टर
टोंक

कार्यवाही नहीं की गई। साथ ही यह भी निवेदन किया है कि नायब तहसीलदार ने अपीलान्ट को एक ही निर्णय के द्वारा तीन सजाएँ क्रमशः बेदखल करने पेनल्टी कायम करने व सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया है, कानूनन इस प्रकार एक ही निर्णय द्वारा सारी सजायें एक साथ दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है। दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट का यह भी कथन रहा कि अपीलान्ट को निर्णय पारित किये जाने की कोई जानकारी नहीं थी। क्योंकि उक्त निर्णय एकतरफा में पारित किया गया था सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 7-10-2020 को तब हुई जब पटवारी द्वारा अपीलान्ट को भूमि से बेदखल करने की धमकी दी गई। अपीलान्ट ने दिनांक 12-10-2020 को नकल प्राप्त की तथा लॉकडाउन खुलने पर बिना किसी देरी के उक्त अपील जानकारी के अन्दर मियाद पेश कर रहा है देरी को क्षमा किये जाने हेतु धारा-5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पस्तुत कर रहा है।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है, किन्तु अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की भूमि खसरा नम्बर 940/42 रकबा 0.01 है0 वाके ग्राम भोजपुरा तह0 उनियारा पर पक्का मकान बना कर अतिक्रमण किया है। विवादित भूमि सरकारी भवन निर्माण या अन्य जन उपयोगी कार्य हेतु उपयोग में आने जेसी भूमि है, ऐसी जगह पर अतिक्रमण होने से जनता द्वारा आये दिन शिकायते प्राप्त होती है। ऐसी सूरत में अतिचारी के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही किया जाना उचित होगा। अपीलान्ट ने पहले भी इस भूमि पर 2075में अतिक्रमण किया था, ओर अब पुनः अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विवादित भूमि पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना माना गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर अपने बचाव पक्ष मे साक्ष्य सबूत पेश करना चाहिए था किन्तु अपीलान्ट बावजूद सूचना के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की भूमि खसरा नम्बर 940/42 रकबा 0.01 है0 वाके ग्राम भोजपुरा तह0 उनियारा पर पक्का मकान बना कर अतिक्रमण किया है जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है एवं अपीलान्ट ने स्वयं ने भी पक्का मकान बना होना प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। अपीलान्ट सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेटा का निर्णय दिनांक 6-3-2020 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20-1-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
टॉक